

—: आम सूचना :-

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल के प्रकरण क्रमांक 02 / 144 / 2020 दिनांक 21.03.2020 के द्वारा दिनांक 22.03.2020 से आगामी दिनांक तक के लिए टोटल लॉक-डाउन घोषित किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन दिनांक 22.03.2020 एवं 23.03.2020 के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि दिनांक 23.03.2020 एवं 24.03.2020 को न्यायालय बंद रहेगा **(court shall remain closed)** । मात्र रिमाण्ड एवं आवश्यक कार्यवाही सायंकाल 03:00 बजे से 05:00 के मध्य तक रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जावेगी ।

आदेशानुसार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)